

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

राँची,

दिनांक :- 30.11.12

अधि.सं.-01/स्था.-66/2006ज.सं.(खण्ड-I)-6855/श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं.-01, मेदिनीनगर को श्री कपिल मुनी सिंह, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर के दिनांक 30.11.2012 को बार्धक्य सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्त पद पर अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. यह आदेश पूर्णतः अस्थायी है। उक्त पद पर नियमित पदस्थापन के पश्चात् यह आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।
3. उक्त कार्य के लिए संबंधित पदाधिकारी को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

( दिनेश उपाध्याय )

सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

6855

राँची, दिनांक :-

30.11.12

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

( दिनेश उपाध्याय )

सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

6855

राँची, दिनांक :-

30.11.12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग) झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर(डालटेनगंज)/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित सभी संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव/ श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल-01, मेदिनीनगर/ श्री कपिल मुनी सिंह, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर/ श्री ओंकार नाथ, वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/ब, 7/यो., एवं 08ए, 08बी एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( दिनेश उपाध्याय )

सरकार के उप सचिव (प्र.)